

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर

बीए 316 पुष्पादी बनाम निरंजीलाका कौं०

मुकदमा संख्या / वर्ष TF 67/24 /20

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
----------	---------------------------	----------------------	-------------

5/10/23

आज यह पञ्जावणी न्यायालय वाजाक अपील प्राधिकारी जयपुर के निर्णय दि० 3/7/23 द्वारा अपीलवाली को अपील स्वारिज की जाकर इस न्यायालय को पेशा हुई विकीक प्रार्थी का कहना है कि मुकदमा दिनांक 28/6/23 को स्वारिज किया जा चुका है। उक्त अपील को भी स्वारिज किया जाये। मुकदमा पञ्जावणी व अपील पञ्जावणी का आधीपान्त अन्तर्गत किया गया। वादी का दावा इस न्यायालय में स्वारिज किया जा चुका है। चूंकि अपील न्यायालय R A A जयपुर में अपील विचारधीन था। अपील के निर्णय पश्चात मुकदमा T. 9 इस न्यायालय को प्राप्त हुई है। चूंकि मुकदमा अन्तर्गत धारा 53 व 182 RT A वादी का दावा दिनांक 28/6/23 को निर्णित हो चुका है अब इस अपील T. 9 पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः प्रार्थी का अपील T. 9 स्वारिज किया जाय है। पञ्जावणी नम्बर से कर दोका बाद तकनीक मुकदमा पञ्जावणी के साथ संलग्न हो। सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)